राष्ट्रपति
और
उपराष्ट्रपति
का निर्वाचन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जून 2022

लार्डिस (एलसी)/2022-पु.-1

पहला संस्करण, 1987

दूसरा संस्करण, 1997

तीसरा संस्करण, 2002

चौथा संस्करण, 2007

पांचवां संस्करण, 2012

छठा संस्करण, 2017

सातवां संस्करण, 2022

(अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है)

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित।

आमुख

भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के पदों हेतु सोलहवां निर्वाचन 2022 में होना है। इस अवसर पर हमारे गणराज्य में इन दो सर्वोच्च सार्वजनिक पदों हेतु निर्वाचन से संबंधित संविधान के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा, इस पुस्तिका में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और संबंधित नियमों में उल्लिखित निर्वाचन प्रक्रिया और पद्धति की जानकारी भी शामिल है।

मैं, भारत निर्वाचन आयोग तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने हेतु उनकी सराहना करता हूं। इस संस्करण को कम समय में प्रकाशित करने हेतु लोक सभा सचिवालय के विधि और संवैधानिक कार्य स्कंध के प्रयास प्रशंसनीय हैं।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका जिसमें अद्यतन जानकारी शामिल की गई है, निर्वाचन प्रक्रिया में लोक सभा सचिवालय में राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रकोष्ठ, राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी।

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

लोक सभा

नई दिल्ली;

जून, 2022

विषय-सूची

		पृष्ठ
एक.	**प्रस्तावना**	1
दो.	**संवैधानिक उपबंध**	15
	अभ्यर्थी कौन हो सकता है?	15
	निर्वाचन का समय	16
	निर्वाचक-मंडल	17
	निर्वाचन की पद्धति और मतों का मूल्य	21
	निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय कौन करता है?	26
तीन.	**राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य**	27
चार.	**राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम,1952 और उसके अधीन बनाए गए नियम**	31
	निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति	31
	निर्वाचन की अधिसूचना	31
	निर्वाचन की लोक सूचना	32
	नामांकन पत्र	34
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	35
	अभ्यर्थिता वापस लेना	38
	मतदान से पूर्व अभ्यर्थी का निधन	39
	सुरक्षा प्रबंध	40
	मतदान	40
	संसद सदस्यों और विधायकों के लिए मतदान का स्थान	41
	मतदान अधिकारियों की नियुक्ति	42
	मतपत्र और मतपेटियों की आपूर्ति	42
	मतपेटियों का निरीक्षण और उन पर मुहर लगाना	43
	मतदान केन्द्र में प्रवेश	43
	मतपत्र देने की प्रक्रिया	44
	नए मतपत्र कब दिए जा सकते हैं	44
	मतदान प्रक्रिया	44

पृष्ठ

निरक्षर या नि:शक्त निर्वाचक द्वारा मतदान 45

निरूद्ध किए गए निर्वाचक द्वारा मतदान 46

मतपत्रों का विवरण 46

मतदान प्रक्रिया समाप्त होना और मतपेटियों तथा मतदान संबंधी पत्रों को मुहरबंद किया जाना 46

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा 47

गणना के लिए नियत स्थान पर प्रवेश 47

मतदान की गोपनीयता बनाए रखना 48

मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे 48

प्रत्येक मतपेटी के खोले जाने संबंधी प्रक्रिया 49

परिणाम का निर्धारण 50

परिणाम की घोषणा 52

मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी पत्रों को वापस करना 53

परिशिष्ट

एक. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना 57

दो. नामनिर्देशन पत्र — भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 59

तीन. नामनिर्देशन पत्र — भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 67

चार. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना 72

पांच. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन (निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची) 73

छह. मतदान अधिकारियों के लिए अनुदेश 74

सात. परिणाम के निर्धारण के लिए अनुदेश 76

आठ. मतपत्र विवरण/गणना का परिणाम 78

नौ. घोषणा 79

दस. भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी 80

प्रस्तावना

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता का श्रेय भारत के संविधान को जाता है जिसमें शासन व्यवस्था की स्पष्ट रूपरेखा और मजबूत संस्थागत संरचना निर्धारित की गई है। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जिसमें सरकार की संसदीय प्रणाली है जो कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाती है, और नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता इस प्रणाली का आधार है।

संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और भारत की संसद का अंग भी होता है। वह कार्यपालिका के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ-साथ विधायी कार्य भी करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। संविधान निर्धारित करता है कि जहां तक संभव हो, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के मामले में एकरूपता के साथ-साथ सभी राज्यों और संघ के बीच समतुल्यता होगी।

उपराष्ट्रपति, जो राज्य सभा का *पदेन* सभापति होता है, का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वह लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रता की शर्तें एक अपवाद के सिवाय राष्ट्रपति के ही समान हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों हेतु निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 54 से 58 और 62, 66 से 68 और 71 में निहित उपबंधों, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात् राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इन निर्वाचनों को संपन्न कराने का प्राधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे और डॉ. एस. राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। वर्तमान राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को पदभार ग्रहण किया था और उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु, जिन्होंने 11 अगस्त 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया था, के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वर्ष 2022 में इन पदों हेतु सोलहवां निर्वाचन होना है।

तालिका : 1

भारत के पूर्व राष्ट्रपति

नाम		पद ग्रहण और कार्यकाल
	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	13 मई 1952—13 मई 1957* और 13 मई 1957—13 मई 1962 (दूसरा कार्यकाल)
	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1962—12 मई 1967
	डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई 1967—3 मई 1969[$]
	श्री वी.वी. गिरि	24 अगस्त 1969—23 अगस्त 1974[@]
	श्री फखरूद्दीन अली अहमद	24 अगस्त 1974—11 फरवरी 1977[#]
	डॉ. नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई 1977—24 जुलाई 1982
	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई 1982 — 24 जुलाई 1987
	श्री आर. वेंकटरमन	25 जुलाई 1987 — 24 जुलाई 1992
	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई 1992 — 24 जुलाई 1997
	श्री के. आर. नारायणन	25 जुलाई 1997 — 24 जुलाई 2002
	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई 2002 -— 24 जुलाई 2007

नाम		पद ग्रहण और कार्यकाल
	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील	25 जुलाई 2007 — 24 जुलाई 2012
	श्री प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई 2012 — 24 जुलाई 2017
	श्री राम नाथ कोविंद	25 जुलाई 2017 — अब तक

[*] डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति रहे।

[$] श्री वी.वी. गिरि 3 मई से 20 जुलाई, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

[@] श्री एम. हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

[#] श्री बी.डी. जत्ती 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

तालिका : 2

राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचकों की भागीदारी*

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गए मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
1.	04.04.1952	4056	23	**5** [**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (विजयी उम्मीदवार)** — 5,07,400 श्री के. टी. शाह— 92,827; श्री थाटे लक्ष्मण गणेश — 2,672: श्री हरि राम— 1,954: श्री कृष्ण कुमार चटर्जी — 533:]	494	7 to 143	605386	06.05.1952
2.	06.04.1957	—@	14	**3** [**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (विजयी उम्मीदवार)** — 4,59,698: श्री नागेन्द्र नारायण दास — 2,000: चौधरी हरि राम — 1498]	496	59 to 147	463196	10.05.1957
3.	06.04.1962	—@	15	**3** [**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (विजयी उम्मीदवार)**— 5,53,067; चौधरी हरि राम — 6,341; श्री यमुनाप्रसाद त्रिशूलिया — 3,537;]	493	59 to 147	562945	11.05.1962

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गए मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
4.	03.04.1967	4131	17	**17** [**डॉ. जाकिर हुसैन (विजयी उम्मीदवार)** — 4,71,244; श्री कोटा सुब्बाराव — 3,63,971: श्री खूबी राम — 1,369: श्री यमुना प्रसाद त्रिशूलिया — 750: श्रीमती भमबुरकार श्रीनिवास गोपाल — 232: — श्री ब्रह्मदेव — 232: श्री कृष्ण कुमार चटर्जी — 125: श्री कुमार कमला सिंह — 125: श्री चन्द्रदत्त सेनानी, श्री यू.पी. चुगनी, डॉ. एम.सी. दावर, चौ. हरिराम, डॉ. मानसिंह, श्रीमती मनोहरा होल्कर, श्री मोतीलाल भीखाभाई पटेल, श्री सीतारमैया रामास्वामी शर्मा होयसला, श्री सत्यभक्त — प्रत्येक को शून्य]	576	8 to 174	838048	09.05.1967
5.	14.07.1969	4137	—@	**15** [**श्री वी. वी. गिरि (विजयी उम्मीदवार)** — 4,01,515: श्री नीलम संजीव रेड्डी — 3,13,548: श्री सी.डी. देशमुख — 1,12,769: श्री चंद्रदत्त सेनानी — 5,814: श्रीमती गुरचरण कौर — 940: श्री राजाभोज पांडुरंग नाथुजी — 831: पंडित बाबूलाल माग — 576: चौ. हरि राम — 125: श्री शर्मा मनोविहारी अनिरुद्ध — 125: श्री खूबी राम — 94:	—@	—@	836337	20.08.1969

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गए मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
				श्री भागमल, श्री कृष्ण कुमार चटर्जी, श्री संतोष कुमार कछवाहा, डॉ. रामदुलार त्रिपाठी चकोर, श्री रमनलाल पुरुषोत्तम व्यास — प्रत्येक को शून्य]				
6.	16.07.1974	4405	21	**2** [**श्री फखरुद्दीन अली अहमद (विजयी उम्मीदवार)** — 7,65,587: श्री त्रिधिव चौधरी — 1,89,196:]	723	9 से 208	954783	20.08.1974
7.	04.07.1977	4532	22	**1** **[श्री नीलम संजीव रेड्डी (निर्विरोध निर्वाचित)]**	702	7 से 208	निर्विरोध	21.07.1977
8.	09.06.1982	4583	22	**2** [**ज्ञानी जैलसिंह (विजयी उम्मीदवार)** — 7,54,113; श्री एच. आर. खन्ना — 2,82,685:]	702	7 से 208	1036798	15.07.1982

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गए मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
9.	10.06.1987	4695	25	**3** [**श्री आर. वेंकटरमण (विजयी उम्मीदवार)** — 7,40,148; श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर — 2,81,550; श्री मिथिलेश कुमार — 2,223;]	702	7 से 208	1023921	16.07.1987
10.	10.06.1992	4748	25	**4** [**डॉ. शंकर दयाल शर्मा (विजयी उम्मीदवार)** — 6,75,804: श्री जी.जी. स्वैल — 3,46,485; श्री राम जेठमलानी — 2,704; श्री काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ 1,135]	702	7 से 208	1026188	16.07.1992
11.	09.06.1997	4848	27	**2** [**श्री के. आर. नारायणन (विजयी उम्मीदवार)** — 9,56,290; श्री टी.एन. शेषन — 50,631]	708	7 से 208	1006921	22.07.1997
12.	11.06.2002	4896	30	**2** [**डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (विजयी उम्मीदवार)** — 9,22,884; श्रीमती लक्ष्मी सहगल — 1,07,366;]	708	7 से 208	1030250	18.07.2002

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	राज्य विधान सभाओं की संख्या	उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य		डाले गए मतों का कुल मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
					संसद सदस्य	विधान सभा के सदस्य		
13.	16.06.2007	4896	30	**2** [**श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (विजयी उम्मीदवार)** — 6,38,116; श्री भैरोसिंह शेखावत — 3,31,306]	708	7 से 208	969422	21.07.2007
14.	16.06.2012	4896	30	**2** [**डॉ. प्रणब मुखर्जी (विजयी उम्मीदवार)** — 7,13,763; श्री पी.ए. संगमा — 3, 15,987;]	708	7 से 208	1029750	22.07.2012
15.	14.06.2017	4896	31	**2** [**श्री राम नाथ कोविंद (विजयी उम्मीदवार)** — 7,02,044; श्रीमती मीरा कुमार — 3,67,314;]	708	7 से 208	1069358	20.07.2017

* ***स्रोत:*** *भारत निर्वाचन आयोग का प्रकाशन:—*

एक. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन 2012

दो. इलेक्टोरल स्टैटिसटिक्स पॉकेट बुक 2016

@*भारत निर्वाचन आयोग के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।*

तालिका : 3

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति

	नाम	पद ग्रहण और कार्यकाल
	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई 1952 — 12 मई 1957 और 13 मई 1957 — 12 मई 1962 (दूसरा कार्यकाल)
	डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई 1962 — 12 मई 1967
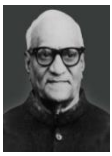	श्री वी.वी. गिरि	13 मई 1967 — 03 मई 1969
	श्री जी.एस. पाठक	31 अगस्त 1969 — 30 अगस्त 1974
	श्री बी.डी. जत्ती	31 अगस्त 1974 — 30 अगस्त 1979
	श्री एम. हिदायतुल्ला	31 अगस्त 1979 — 30 अगस्त 1984
	श्री आर. वेंकटरमण	31 अगस्त 1984 — 25 जुलाई 1987

	नाम	पद ग्रहण और कार्यकाल
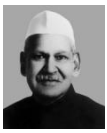	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	03 सितंबर 1987 — 24 जुलाई 1992
	श्री के. आर. नारायणन	21 अगस्त 1992 — 24 जुलाई 1997
	श्री कृष्णकांत	21 अगस्त 1997 -— 27 जुलाई 2002
	श्री भैरों सिंह शेखावत	19 अगस्त 2002 — 21 जुलाई 2007
	श्री मोहम्मद हामिद अंसारी	11 अगस्त, 2007 — 10 अगस्त, 2012 और 11 अगस्त 2012 — 10 अगस्त 2017 (दूसरा कार्यकाल)
	श्री एम. वेंकैया नायडु	11 अगस्त 2017 — अब तक

तालिका : 4

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचकों की भागीदारी *

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	वैध उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
1.	12.04.1952	715	1 [**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन**, (**निर्विरोध निर्वाचित**]	निर्विरोध	25.04.1952
2.	09.04.1957	735	1 [**डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन**, (**निर्विरोध निर्वाचित**)]	निर्विरोध	23.04.1957
3.	06.04.1962	745	**2** **[डॉ. जाकिर हुसैन (विजयी उम्मीदवार) — 568;** श्री एन.सी. समंतसिंहार —14]	582	08.05.1962
4.	03.04.1967	749	**2** **[श्री वी.वी. गिरि (विजयी उम्मीदवार)** — 483; प्रो. हबीब — 193]	676	08.05.1967
5.	31.07.1969	759	**6** **[श्री जी.एस. पाठक (विजयी उम्मीदवार)** — 400]	___	30.08.1969

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	वैध उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
6.	26.07.1974	767	**2** [**श्री बी.डी. जत्ती (विजयी उम्मीदवार)** — 521; श्री एन.ई. होरो — 141;]	662	27.08.1974
7.	23.07.1979	—@	**1** **[श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला (निर्विरोध निर्वाचित)]**	निर्विरोध	10.08.1979
8.	20.07.1984	788	**2** [**श्री आर. वेंकटरमण (विजयी उम्मीदवार)** — 508; श्री बापू चंद्रसेन कांबले — 207]	715	22.08.1984
9.	04.08.1987	790	**1** **[श्री शंकर दयाल शर्मा (निर्विरोध निर्वाचित)]**	निर्विरोध	21.08.1987
10.	17.07.1992	790	**2** [**श्री के. आर. नारायणन (विजयी उम्मीदवार)**— 700; श्री काका जोगिंदर सिंह *उर्फ* धरती पकड़ — 1]	701	19.08.1992
11.	15.07.1997	790	**2** [**श्री कृष्ण कान्त (विजयी उम्मीदवार)** — 441; श्री सुरजीत सिंह — 273]	714	16.08.1997

क्रम सं.	निर्वाचन की तिथि और वर्ष	कुल निर्वाचक	वैध उम्मीदवार (मतों के मूल्य सहित)	प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य	परिणाम घोषित करने हेतु अधिसूचना की तिथि
12.	10.07.2002	790	**2** [**श्री भैरोसिंह शेखावत (विजयी उम्मीदवार)** — 454 श्री सुशील कुमार शिंदे — 305]	759	12.08.2002
13.	09.07.2007	790	**3** [**श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (विजयी उम्मीदवार)** — 455; डॉ. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला — 222; श्री राशिद मसूद — 75]	752	10.08.2007
14.	06.07.2012	790	**2** [**श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (विजयी उम्मीदवार)** — 490; श्री जसवंत सिंह — 238]	728	07.08.2012
15.	04.07.2017	790	**2** [**श्री एम. वेंकैया नायडु (विजयी उम्मीदवार)** — 516: श्री गोपालकृष्ण — 244;]	760	05.08.2017

[*] ***स्रोत:*** *भारत निर्वाचन आयोग का प्रकाशन:—*

एक. भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन 2012

दो. इलेक्टोरल स्टैटिसटिक्स पॉकेट बुक 2016

[@] *भारत निर्वाचन आयोग के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।*

दो. संवैधानिक उपबंध

अभ्यर्थी कौन हो सकता है?

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 58 में उपबंध है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह —

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) जिसकी आयु पैंतीस वर्ष चुकी है; और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है।

कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है।

राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अभ्यर्थी हो सकता है लेकिन यदि वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने संसद अथवा राज्य विधानमंडल का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। [अनुच्छेद 59 (1)]

अनुच्छेद 57 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) जिसकी आयु पैंतीस वर्ष हो चुकी है; और

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है।

कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तथापि, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है।

अनुच्छेद 66(2) में यह उपबंध है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उप-राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

अनुच्छेद 66 के *स्पष्टीकरण* के अनुसार, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। ऐसे मामले में, इसका आशय है कि वर्तमान उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है।

निर्वाचन का समय

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 56(1) में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

अनुच्छेद 62 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए पदावधि की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण निर्वाचन रद्द करने अथवा किन्हीं वैध कारणों से निर्वाचन स्थगित करने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन समय पर पूर्ण न होने की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए अनुच्छेद 56 (1) (ग) में उपबन्ध है कि राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

चूंकि राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद का पांच वर्ष का कार्यकाल 24 जुलाई, 2022 को पूरा हो जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए तथा परिणाम घोषित किया जाए, ताकि नए राष्ट्रपति 25 जुलाई, 2022 को कार्यभार संभाल सकें।

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए पदावधि की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन समय पर पूर्ण न होने की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए अनुच्छेद 67 (ग) में यह उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु का पांच वर्ष का कार्यकाल 10 अगस्त, 2022 को पूरा हो जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए तथा परिणाम घोषित किया जाए, ताकि नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त, 2022 को कार्यभार संभाल सकें।

निर्वाचक-मंडल

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे, जिसमें (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

संविधान (सत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा 2 (1 जून, 1995 से प्रभावी) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 54 के नीचे एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया गया । यह निम्नवत् है:—

''**स्पष्टीकरण** — इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, ''राज्य'' के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।''

तदनुसार, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में अब (क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और (ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।

संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के नामनिर्दिष्ट सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के हकदार नहीं हैं । इसके अलावा, राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता।

निर्वाचक मंडल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय

मत देने के लिए निरर्ह सदस्यों की पात्रता*

दल परिवर्तन रोधी कानून के लागू हो जाने के बाद, एक विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या इस कानून के तहत निरर्ह संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य उस दशा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के लिए पात्र हैं, जब उनकी निरर्हता के विरुद्ध उनकी अपील न्यायालय में लंबित हो। वर्ष 1987 में पंजाब विधान सभा के बाईस सदस्यों को अध्यक्ष ने दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह कर दिया था। उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय[@] ने दिनांक 7 मई, 1987 के अपने अंतरिम आदेश में यह निर्णय दिया कि यदि इस मामले की सुनवाई से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निरर्ह सदस्य मतदान में उस प्रकार भाग लेने और अपना मत देने के हकदार होंगे जैसे कि वे निरर्ह न हुए हों। निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने 22 जून 1987 के आदेश के द्वारा यह निर्णय दिया कि मतदान में भाग लेने में अभ्यर्थियों के नामांकनों का प्रस्ताव और समर्थन करना शामिल है। इन सदस्यों द्वारा डाले गये मतों पर अलग से निशान लगाया जाना चाहिए और उन्हें गिनती करने के बाद मामले के अंतिम निपटान तक अलग से रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी इंगित किया कि मामले की सुनवाई के समय यथावश्यक ऐसे अन्य निदेश लिए जा सकते हैं।

उपर्युक्त निदेशों के अनुसरण में, संबंधित विधान सभा के 22 सदस्यों को निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची में शामिल किया गया था।

उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करने के लिए, निर्वाचन आयोग ने सहायक निर्वाचन अधिकारी अर्थात् पंजाब विधान सभा के सचिव द्वारा पालन किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित कीः—

(एक) उपरोक्त 22 सदस्यों को जारी किए गए प्रत्येक मत पत्र अथवा उसके निवारक निरोध में होने के आधार पर उनमें से किसी को जारी किये गये डाक मत पत्र और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई रबड़ की मुहर से स्पष्ट रूप में अंकित किया जाए और उसमें यह लिखा होः "उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत मत देने की अनुमति दी गई";

(दो) उपर्युक्त 22 सदस्यों को मत पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ, चंडीगढ़ में निर्वाचकों के उपयोग के लिए भेजे गए अंतिम 25 मत पत्रों के एक पैकेट को अलग रखा जाएगा;

(तीन) संबंधित 22 सदस्यों को मत पत्र जारी करने के लिए अतिरिक्त मतदान अधिकारी तैनात किया जाएगा। उसे पंजाब विधान सभा के सदस्यों की सूची प्रदान की जाएगी;

---

*भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017*

@सरदार प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनाम भारत संघ, जे. टी. 1987 (2) एस. सी. 397

(चार) अतिरिक्त मतदान अधिकारी को अन्य मतदान अधिकारियों और मतदान एजेंटों के निकट बिठाया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मतदान एजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता न पड़े;

(पांच) 22 निरर्ह सदस्यों के लिए मत पत्र जारी करने और उन पर निशान लगाने और उन्हें मत पेटी में डालने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि अन्य सदस्यों के लिए है; और

(छह) मतदान समाप्त हो जाने के बाद, उपर्युक्त अतिरिक्त मतदान अधिकारी को प्रदान की गई निर्वाचकों की सूची की निशान लगी प्रति, उपर्युक्त सदस्यों को जारी किए गए मत पत्रों के प्रतिपर्ण और उक्त अतिरिक्त मतदान अधिकारी के पास अप्रयुक्त मत पत्रों को सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग पैकेटों में रखा जायेगा तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 21 (1) के अंतर्गत विहित रीति से सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जायेगा और मतदान केन्द्र से संबंधित अन्य चुनाव रिकार्डों के साथ निर्वाचन अधिकारी को भेजा जायेगा।

निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त आवेदन, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गये ऐसे मतों को निर्वाचन के परिणाम निर्धारित करने और इसकी घोषणा करने के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है, के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक, आयोग ने न्यायालय द्वारा यह निर्देश जारी किए जाने की दशा में कि 22 निरर्ह सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जानी चाहिए, मतों की गिनती के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की:—

(एक) जब पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गये मत पत्रों वाली मत पेटी ली जाए तो मत पेटी में पाए गए मतों की संख्या का डाले गए मतों की संख्या से मिलान किया जाए।

(दो) तदुपरांत, मोड़े गए पत्रों को इस तरीके से खोला जाएगा कि उन पर दर्शायी गई प्राथमिकताएं दिखाई न दें। इस प्रयोजनार्थ, खोले गए मत पत्र को उलट कर देखा जाना चाहिए।

(तीन) तदुपरांत, खोले गए मत पत्रों की विस्तृत संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा दो चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में मत पत्रों की यथार्थता की पुष्टि उनके पृष्ठ भाग पर दिए गए मामले के संदर्भ के साथ की जाएगी, परन्तु उन पर लगाये निशान को न तो देखा जाएगा और न ही उसकी संवीक्षा की जाएगी। दूसरे चरण में सभी मत पत्रों को बंडल के रूप में एक साथ उलट कर रखा जायेगा और तत्पश्चात् विस्तृत संवीक्षा की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी इसका उलटा भाग दिखाई न दे और न ही कोई इसे देख सके। तदुपरांत, विहित रीति से मतों की गिनती शुरू की जायेगी।

(चार) गिनती समाप्त होने के पश्चात्, उपर्युक्त सदस्यों द्वारा डाले गए मत पत्रों को शेष मत पत्रों से अलग रखना होगा चूंकि उच्चतम न्यायालय के निदेशों के तहत इन्हें अलग से रखा जाना

अपेक्षित है। इस प्रयोजनार्थ, पंजाब विधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए मत पत्रों के केवल पृष्ठ भाग की, जिन्हें गिनती के समय अभ्यर्थी-वार अलग पैकेटों में रखा गया हो, संवीक्षा की जाए और वे मत पत्र जिनके पृष्ठ भाग पर उपर्युक्त रबड़ की मुहर का निशान लगा हुआ हो, को शेष मत पत्रों से अलग किया जाये और अलग रखा जाए। ऐसे सभी मत पत्रों को एक अलग सीलबंद पैकेट में रखा जाए।

तथापि, यदि उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि 22 सदस्यों के मत पत्रों की गिनती न की जाए तो इन मत पत्रों के पृष्ठ भाग पर लगी रबड़ की मुहर के निशानों को देखकर इन्हें अलग कर लिया जायेगा। तथापि, इन्हें न तो खोला जाएगा और न ही उन पर दर्शायी गई प्राथमिकताओं को देखा जाएगा और न ही इसकी संवीक्षा की जाएगी।

तथापि, उच्चतम न्यायालय ने 14 जुलाई, 1987 को आदेश दिया कि सदस्यों द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जानी चाहिए, परन्तु गिनती के पश्चात् इन्हें अलग से रखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति 15 जुलाई, 1987 को निर्वाचन अधिकारी को भेजी गयी थी।

*उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचकों की पात्रता को निरस्त किया जाना परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाना**

1987 में हुए नौवें राष्ट्रपतीय निर्वाचन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि निर्वाचक मंडल के पांच सदस्य — आंध्र प्रदेश विधान सभा के दो और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब विधान सभा प्रत्येक के एक-एक सदस्य अपना मत डालने के हकदार नहीं थे, चूंकि संबंधित उच्च न्यायालयों ने उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था, परन्तु उच्च न्यायालयों के आदेशों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी।

विधान सभा भंग होने के कारण निर्वाचक मंडल में हुई रिक्ति

संविधान में यह विहित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। (*अनुच्छेद 71*)

24 अगस्त, 1974 को राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने पर रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पर प्रभाव डालने वाले संवैधानिक महत्व के कतिपय प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल, 1974 को संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के अन्तर्गत एक उल्लेख[@] किया था। यह उल्लेख इस मूल प्रश्न के संबंध में किया गया था कि क्या राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, इस तथ्य के होते हुए कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई थी, पदावधि के समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए।

---

*भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित *भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन, 2017*

[@]राष्ट्रपतीय निर्वाचन 1974, एआईआर 1974 एससी 1682 के संदर्भ में

न्यायालय ने अपनी राय दी कि राष्ट्रपति की पदावधि निर्धारित है। पदावधि समाप्त हो जाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समाप्त हो जाने से पहले किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचक मंडल के सदस्यों में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य शामिल हैं। अनुच्छेद 54 के सार के साथ-साथ इसका कार्यक्षेत्र मात्र राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचकों हेतु अपेक्षित अर्हताएं विहित करना है। अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचकगण विधानमंडलों से स्वतंत्र हैं। किसी भी विधानमंडल की इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ निर्वाचक मंडल की तुलना में कोई अलग पहचान नहीं है। विधान सभा के भंग होने से तात्पर्य है कि भंग विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं हैं। किसी राज्य की भंग विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, के सदस्य नहीं रहते हैं और इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने के हकदार नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि गुजरात विधान सभा अनुच्छेद 174 के तहत भंग कर दी गयी थी। भंग किये जाने के परिणामस्वरूप उस राज्य में विधान सभा के निर्वाचित सदस्य नहीं रहे। यह विषय या तो राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने पर चुनाव रोकने अथवा करवाने अथवा यह सुझाव देने कि राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन राज्य की विधान सभा, जिसकी विधान सभा भंग थी, के चुनाव के बाद हो सकता है, का आधार नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राय व्यक्त की कि इस तथ्य के होते हुए भी कि ऐसे निर्वाचन के समय किसी राज्य की विधान सभा भंग थी, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए।

निर्वाचन की पद्धति और मतों का मूल्य

(क) राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 55 में निर्दिष्ट किया गया है कि जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आये;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं हैं तो उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जायेगा;

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी, जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आये, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जायेगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी।

राष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

मतों के मूल्य की गणना के लिए संविधान (चौरासीवां) संशोधन अधिनियम, 2001 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए राज्यों की जनसंख्या से 1971 की जनगणना में यथानिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है जब तक कि वर्ष 2026 के पश्चात् की जाने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित न हो जाएं।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक मंडल में संसद सदस्यों और प्रत्येक विधान सभा के सदस्यों के मतों का मूल्य पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के समय, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी को भेजे जाने वाले मतों का मूल्य तालिका 5 और तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका: 5

राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 में संसद सदस्यों के मतों का मूल्य

- **प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य**

  निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या = लोक सभा (543)+राज्य सभा (233) =776

  सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य= 5,43,231

  प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य=5,43,231/776=700

- **संसद के 776 सदस्यों के मतों का कुल मूल्य**

  700×776=5,43,200

- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचकों की कुल संख्या**

  विधान सभा सदस्य [4033]+संसद सदस्य [776] =4809

- **राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 के लिए 4809 निर्वाचकों के मतों का कुल मूल्य**

  776 संसद सदस्यों तथा सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य= 5,43,200+5,43,231=10,86,431

तालिका: 6

राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022® में भिन्न-भिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण

राज्य का नाम	विधान सभा में स्थानों (निर्वाचित) की संख्या	1971 की जनगणनानुसार जनसंख्या	विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कुल मतों का मूल्य
आंध्र प्रदेश	175	27800586	159	159×175=27825
अरुणाचल प्रदेश	60	467511	8	008×060=480
असम	126	14625152	116	116×126=14616
बिहार	243	42126236	173	173×243=42039
छत्तीसगढ़	90	11637494	129	129×090=11610
गोवा	40	795120	20	020×040= 800
गुजरात	182	26697475	147	147×182=26754
हरियाणा	90	10036808	112	112×090=10080
हिमाचल प्रदेश	68	3460434	51	051×068=3468
झारखंड	81	14227133	176	176×081=14256
कर्नाटक	224	29299014	131	131×224=29344
केरल	140	21347375	152	152×140=21280
मध्य प्रदेश	230	30016625	131	131×230=30130
महाराष्ट्र	288	50412235	175	175×288=50400

®भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

राज्य का नाम	विधान सभा में स्थानों (निर्वाचित) की संख्या	1971 की जनगणनानुसार जनसंख्या	विधान सभा के एक सदस्य के मत का मूल्य	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कुल मतों का मूल्य
मणिपुर	60	1072753	18	018×060=1080
मेघालय	60	1011699	17	017× 060=1020
मिज़ोरम	40	332390	8	008×040=320
नागालैण्ड	60	516449	9	009×060=540
ओडिशा	147	21944615	149	149×147=21903
पंजाब	117	13551060	116	116×117=13572
राजस्थान	200	25765806	129	129×200=25800
सिक्किम	32	209843	7	007×032=224
तमिलनाडु	234	41199168	176	176×234=41184
तेलंगाना	119	15702122	132	132×119=15708
त्रिपुरा	60	1556342	26	026×060=1560
उत्तराखंड	70	4491239	64	064×070 = 4480
उत्तर प्रदेश	403	83849905	208	208×403=83824
पश्चिम बंगाल	294	44312011	151	151×294=44394
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	70	4065698	58	058×070=4060
पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र	30	471707	16	016 ×030=480
कुल	**4033**	**54,30,02,005**		**=5,43,231**

(ख) उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद 66(1) में उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों (नामनिर्दिष्ट सदस्यों सहित) से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से इस मामले में भिन्न है कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते।

निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय कौन करता है?

संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा । यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

निर्वाचन याचिका राष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, एक उम्मीदवार या बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा सम्मिलित होकर और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, एक उम्मीदवार या दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह धारा 12 (राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952) के तहत निर्वाचन में निर्वाचित उम्मीदवार के नाम के साथ घोषणा के प्रकाशन की तिथि के बाद किसी समय प्रस्तुत की जा सकेगी परंतु इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के बाद नहीं। इन प्रावधानों के अध्यधीन, उच्चतम न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत ऐसी निर्वाचन याचिकाओं के प्ररूप, रीति और तत्संबंधी प्रक्रियाओं को विनियमित कर सकेगा।

तीन. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

1. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन के लिए मतदान की प्रणाली क्या है?

उत्तर: भारत के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है और ऐसे निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

2. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है?

उत्तर: एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) एक ऐसी मतदान प्रणाली है जिसे श्रेणीबद्ध मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचक (मतदाता) का बहुल श्रेणी अधिमान सहित एक मत होता है। निर्वाचक मत पत्र पर मुद्रित अभ्यर्थियों के नामों के सामने समुचित अंक में अपनी अधिमानता अंकित कर सकता है। आरंभ में मत, सर्वोच्च अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को आबंटित किया जाता है, परंतु अभ्यर्थियों के निर्वाचन अथवा निष्कासन के आधार पर प्रत्येक मत की आगे अनेक बार गणना की जा सकती है। निर्वाचित अभ्यर्थियों और सबसे कम मत पाने वाले अभ्यर्थियों के अधिशेष मतों के पुनः वितरण/अंतरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अपेक्षित संख्या में सदस्यों का चयन नहीं हो जाता (जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के मामले में एक-एक है) अथवा निर्वाचित होने के लिए आवश्यक मतों का कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। चूंकि, असफल अभ्यर्थियों को प्राप्त मत तथा सफल अभ्यर्थियों को प्राप्त अधिशेष मतों को मतदाता द्वारा चयनित अगले अभ्यर्थियों को अंतरित कर दिया जाता है, एकल संक्रमणीय मत (एसटीवी) के द्वारा व्यर्थ मतों को कम से कम किया जाता है।

3. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है ? ऐसी नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर: सुस्थापित परंपरानुसार, महासचिव, लोक सभा अथवा महासचिव राज्य सभा को चक्रानुक्रम से निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिव और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ऐसी नियुक्ति करता है ।

4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में मतों के अभिलेखन की रीति/प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर: एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, प्रत्येक निर्वाचक निर्वाचन में भाग ले रहे अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर अधिमानताएं अंकित कर सकता है। निर्वाचक द्वारा अभ्यर्थियों हेतु ये अधिमानताएं, मत पत्र की कॉलम संख्या 2 में दिए गए स्थान में अभ्यर्थियों के नामों के

सामने 1,2,3,4,5 आदि अंक चिह्नित करके ही दी जानी चाहिए । अधिमानता, भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप अथवा किसी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप अथवा रोमन रूप में चिह्नित की जा सकती है परन्तु, अधिमानता, एक, दो या प्रथम अधिमानता, द्वितीय अधिमानता, आदि जैसे शब्दों में अंकित नहीं की जा सकती ।

5. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी निर्वाचक के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिमानता अंकित करना अनिवार्य है?

उत्तरः नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में किसी मतपत्र के विधिमान्य होने के लिए केवल प्रथम अधिमानता अंकित करना अनिवार्य है। अन्य अधिमानताओं को अंकित करना वैकल्पिक है। निर्वाचक अधिमानता क्रम में अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे अधिमानताएं अंकित कर सकता है। तथापि, किसी भी मतपत्र को केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं माना जाएगा कि उसमें ऐसी अधिमानताएं अंकित नहीं की गई हैं।

6. क्या प्रत्येक निर्वाचक के मत का मूल्य एक समान होता है?

उत्तरः राष्ट्रपति के निर्वाचन में, प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य एक समान होता है। तथापि, विधान सभा के सदस्यों के मामले में भिन्न-भिन्न राज्यों के आधार पर मतों का मूल्य अलग-अलग होता है । राष्ट्रपति के निर्वाचन के विपरीत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक मत का मूल्य एक समान अर्थात् 1 (एक) होता है।

7. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु निर्वाचन में उपयोग के लिए मुद्रित मत पत्रों हेतु किन विनिर्देशों का पालन किया जाता है?

उत्तरः राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में संसद सदस्यों हेतु मुद्रित मतपत्रों का रंग राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के उपयोगार्थ मुद्रित मतपत्रों के रंग से भिन्न होता है । मतपत्र में दो कॉलम होते हैं– पहले कॉलम में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होता है जबकि दूसरा कॉलम मतदाता द्वारा अधिमानता क्रम अंकित करने के लिए होता है। मत पत्र में कोई चुनाव चिह्न मुद्रित नहीं होता है।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में मतपत्र केवल एक रंग में ही मुद्रित होते हैं, क्योंकि निर्वाचक-मंडल में केवल संसद सदस्य (नामनिर्देशित सदस्यों सहित) होते हैं। मतपत्र में दो कॉलम होते हैं — पहले कॉलम में अभ्यर्थियों के नाम दिए जाते हैं और दूसरा कॉलम निर्वाचक द्वारा अधिमानता क्रम अंकित करने के लिए होता है। मतपत्र पर कोई चुनाव-चिह्न मुद्रित नहीं होता है।

8. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में दलबदल रोधी कानून के प्रावधान लागू होते हैं?

उत्तरः नहीं, दोनों मामलों में, निर्वाचक-मंडल के सदस्य अपने विवेक/पसंद/इच्छा से मतदान कर सकते हैं और वे किसी दल के सचेतक (व्हिप) से बंधे नहीं होते हैं। यह एक गुप्त मतदान होता है।

9. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान कर सकता है?

उत्तरः नहीं, निर्वाचक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान नहीं कर सकता।

10. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई निःशक्त अथवा निरक्षर निर्वाचक अपना मतदान करने के लिए किसी साथी की सहायता ले सकते हैं?

उत्तरः नहीं, संसद और विधान सभा चुनावों की तरह कोई निर्वाचक किसी साथी की सहायता नहीं ले सकता। उसे अपना मतदान करने के लिए पीठासीन अधिकारी की ही सहायता लेनी चाहिए।

11. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निवारक निरोध के अंतर्गत निरुद्ध कोई निर्वाचक किस प्रकार अपना मतदान करेगा?

उत्तरः निवारक निरोध के अंतर्गत रखा गया कोई निर्वाचक डाक मत पत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, निर्वाचन आयोग, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षरों के सत्यापन संबंधी प्रपत्र और इस प्रयोजन हेतु विशेष रुप से तैयार किए गए लिफाफे तथा जिस कारावास में निर्वाचक को निरुद्ध किया गया है वहां के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश पत्र के साथ समुचित मतपत्र भेजता है। निर्वाचन के दिन निर्वाचक द्वारा मतदान किए जाने के बाद कारावास प्राधिकारी पंजीकृत डाक से अथवा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से अन्य पत्रों के साथ मतपत्र भेज देते हैं।

12. क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सफल अभ्यर्थियों का निर्वाचन साधारण बहुमत से अथवा मतों का एक विशेष कोटा प्राप्त करने के आधार पर किया जाता है?

उत्तरः चूंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार किया जाता है, अतः प्रत्येक निर्वाचक निर्वाचन में भाग ले रहे अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर अधिमानताएं अंकित कर सकता है। प्रत्येक मामले में सफल अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने हेतु मतों का एक अपेक्षित कोटा, अर्थात् कुल वैध मतदान का 50 प्रतिशत+1 मत प्राप्त करना होता है।

13. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी को कुल कितनी जमानत राशि जमा करानी होती है? किस स्थिति में अभ्यर्थी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है?

उत्तरः प्रत्येक मामले में, जमानत राशि 15,000/- रुपये है जिसे या तो नकद रूप से निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है अथवा नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकारी खजाने में जमा की गई धनराशि को दर्शाने वाली रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यदि, अभ्यर्थी निर्वाचित न हुआ हो और प्राप्त वैध मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के सफल चुनाव के लिए आवश्यक मतों की संख्या के छठे भाग से अधिक न हो तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अन्य मामलों में जमानत राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी।

14. क्या निर्वाचक अपने मतदान का स्थान चुन सकते हैं?

उत्तरः हां, हालांकि सामान्यतः संसद सदस्य नई दिल्ली में मतदान करते हैं और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधान सभाओं के सदस्य भी शामिल हैं, प्रत्येक राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानी में निर्धारित स्थान पर मतदान करते हैं। चुनाव आयोग किसी संसद सदस्य को राज्य की राजधानी में मतदान करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और इसी तरह यदि कोई विधायक मतदान के दिन दिल्ली में है तो वह संसद भवन में स्थापित मतदान केन्द्र पर भी मतदान कर सकता है। तथापि, जो सांसद या विधायक उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर वोट देने का विकल्प चुनते हैं जहां सदस्य को वोट देने के लिए नामित किया गया है, तो उन्हें इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आयोग को इसकी पूर्व-सूचना (दस दिन पूर्व) देनी होगी। आपवादिक परिस्थितियों में, आयोग द्वारा सांसदों और विधायकों को अन्य राज्यों की राजधानियों में मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है।

चार. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियम

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 समय-समय पर यथासंशोधित, में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया और पद्धति सविस्तार दी गई है जिसका आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति से होता है।

निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है, नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने के साथ होता है (धारा 3)। इस निर्वाचन के संचालन हेतु सुस्थापित परम्परानुसार, अध्यक्ष लोक सभा अथवा सभापति, राज्य सभा की स्वीकृति से यथास्थिति, महासचिव, लोक सभा अथवा महासचिव, राज्य सभा को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्ष 2017 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसलिए 2022 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए राज्य सभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। केन्द्र में एक अथवा अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं; उसके नाम का सुझाव यथास्थिति, अध्यक्ष, लोक सभा/सभापति, राज्य सभा की स्वीकृति से निर्वाचन अधिकारी देता है। सभी राज्यों की विधान सभाओं के सचिव सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि राज्य विधान सभाओं के सदस्य प्रायः अपने संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान करते हैं। निर्वाचक-मंडल का प्रत्येक सदस्य नई दिल्ली अथवा राज्य की राजधानी में से किसी भी एक स्थान पर मतदान कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी के सब कृत्यों या उनमें से किसी के पालन में प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी सक्षम होता है। [धारा 3(2)]

(ख) उपराष्ट्रपति

उपर्युक्त उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति पर भी लागू होते हैं। वर्ष 2017 में हुए निर्वाचन के लिए राज्य सभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी थे। वर्ष 2022 में होने वाले उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए लोक सभा के महासचिव को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निर्वाचन की अधिसूचना

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना पदावरोही राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को अथवा उसके पश्चात् यथाशीघ्र सुविधाजनक दिन को जारी

करता है। तारीखें ऐसे नियत की जाएंगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाये कि एतद्द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदग्रहण पदावरोही राष्ट्रपति की पदावधि के अवसान के अगले दिन कर सके। [धारा 4 (3)]

राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या उन्हें पद से हटाए जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति के भरे जाने के लिए निर्वाचन की दशा में आयोग अधिसूचना ऐसी रिक्ति के होने के पश्चात् यथाशीघ्र जारी करता है।

निर्वाचन की अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के संबंध में घोषणा समाविष्ट होती हैः—

(एक) नामांकन करने की अन्तिम तारीख;

(दो) नामांकन की संवीक्षा की तारीख;

(तीन) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख; और

(चार) मतदान की तारीख, यदि आवश्यक हो।

यदि नामांकन करने या नामांकन की संवीक्षा करने या अभ्यर्थिता वापस लेने की किसी तारीख को सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है, तो आगामी कार्य दिवस को, जो सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो, इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त तारीख माना जाता है। [धारा 4(1)]

(ख) उपराष्ट्रपति

अधिनियम की धारा 4 उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी करने का भी प्रावधान करती है।

निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के संबंध में अधिसूचना, पदावरोही उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को या उसके पश्चात यथाशीघ्र सुविधाजनक दिन को जारी करता है। तारीखें ऐसे नियत की जाएंगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाये कि एतद्द्वारा निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण पदावरोही उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान के अगले दिन कर सके। [धारा 4 (3)]

निर्वाचन की लोक सूचना

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी आशयित निर्वाचन की निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-एक) में लोक सूचना जारी करता है किः—

(एक) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को संसद भवन, नई दिल्ली के अभिहित कमरे में किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न से

3 बजे अपराह्न (लोक अवकाश के दिन से भिन्न) किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए यथा अधिसूचित अंतिम तारीख के बाद नहीं, परिदत्त किये जाने चाहिये;

(दो) प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी;

(तीन) हर अभ्यर्थी केवल 15,000 रुपये* की राशि जमा करेगा या जमा करवायेगा । यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और परवर्ती मामले में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शाया किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामांकन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(चार) नामांकन पत्रों के प्ररूप अभिहित कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(पांच) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किये गये नामांकन पत्रों से भिन्न नामांकन पत्रों की संवीक्षा संसद भवन, नई दिल्ली में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर उक्त कार्यालय में की जायेगी;

(छह) अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित अंतिम तारीख को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी; और

(सात) निर्वाचन होने की दशा में, मतदान निर्वाचन आयोग द्वारा नियत की गई तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गये घंटों के बीच इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में होगा ।

लोक सूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी दिन जारी की जाती है, जिस दिन निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यक्रम संबंधी अधिसूचना जारी करता है तथा यह भारत के राजपत्र तथा सभी राज्यों के राजपत्रों के असाधारण अंकों में निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भाषाओं में उसी दिन प्रकाशित की जाती है । लोक सूचना की प्रतियां आकाशवाणी, दूरदर्शन, संसद टीवी (पहले लो.स. टी.वी. और रा.स. टी.वी.) तथा विभिन्न समाचार एजेंसियों को प्रकाशन, उद्घोषणा एवं प्रसारण के लिए भेजी जाती हैं ।

---

* राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत जमानत राशि को 2,500 रु. से बढ़ाकर 15,000 रु. कर दिया गया ।

लोक सूचना की प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा के सभी सदस्यों को उनके संबंधित सचिवालयों के जरिए उसी दिन परिचालित की जाती हैं। लोक सूचना के जारी हो जाने पर, देश के सभी भागों से नामांकन पत्रों के लिए अनुरोध मिलने लगते हैं। इन अनुरोधों को तत्परता से पूरा किया जाता है। जिन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र परिदत्त किये जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिये व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक रसीद ली जाती है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

नामांकन पत्र

(क) राष्ट्रपति

अधिनियम की धारा 5 क से 5 घ और नियमों का नियम 4 नामांकन पत्रों के बारे में हैं। नामांकन पत्रों के प्ररूप काफी समय पूर्व अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में मुद्रित किये जाते हैं। नामांकन पत्र विहित प्ररूप (परिशिष्ट-दो) में भरा जाना चाहिए जिस पर नामांकन के लिए अनुमति देते हुए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे तथा प्रस्थापकों के रूप में कम-से-कम पचास* निर्वाचकों के और समर्थकों के रूप में भी कम-से-कम पचास* निर्वाचकों के भी हस्ताक्षर होंगे। कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है, तो प्रथम परिदत्त नामांकन पत्र से भिन्न किसी भी नामांकन पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।

नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी:—

(क) उसमें नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख और समय को बताने वाले एक प्रमाण-पत्र पर अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा;

(ख) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामांकनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा; तथा

(ग) उक्त खंड (क) के अधीन यथाप्रमाणित और संख्यांकित नामांकन पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवायेगा। (धारा 5घ)

यदि कोई अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरते समय 15,000/- रुपये निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा कराता है, तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे इसकी रसीद दी जाएगी।

---

* राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत प्रस्थापकों और समर्थकों की संख्या को दस से बढ़ाकर पचास कर दिया गया।

किसी एक अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक नामांकन पत्रों द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जा सकता है। तथापि, किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे या निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। [धारा 5ख (6), परंतुक]

नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त कोई नामांकन पत्र या ऐसा नामांकन पत्र जिसके साथ निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न न हो, नामंजूर कर दिया जायेगा और ऐसी नामंजूरी से संबंधित एक संक्षिप्त टिप्पण उस नामांकन पत्र पर ही अभिलिखित किया जायेगा। [धारा 5ख (4)] ऐसे नामंजूर नामांकन पत्रों को संवीक्षा प्रक्रम में नहीं लिया जायेगा।

प्रेस कर्मी निर्वाचन अधिकारी के कमरे के बाहर रखे सूचना-पट्ट, जिस पर सभी नामांकन पत्रों की प्रतियां लगी होंगी, से दाखिल किये गये नामांकन पत्रों के बारे में जानकारी नोट कर सकेंगे।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपरोक्त उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे:–

(क) नामांकन पत्र निर्धारित प्ररूप में पूरी तरह भरे हुए होने चाहिए। (*परिशिष्ट तीन*) (नियम 4)

(ख) नामांकन पत्र पर नामांकन से सहमत होने की स्वीकृति के रूप में अभ्यर्थी के और कम-से-कम 20[*] निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम 20[*] निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिएं, किन्तु कोई भी नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी को सरकारी छुट्टी के दिन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। [धारा 5ख (1) (ख) और परंतुक धारा 5ख (1) (ख)]

नामांकन पत्रों की संवीक्षा

(क) राष्ट्रपति

दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की संवीक्षा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट तारीख को निर्वाचन अधिकारी के कमरे में की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति संवीक्षा के समय उपस्थित रह सकता है। निर्वाचन अधिकारी उन्हें सब नामांकन पत्रों की, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर नहीं कर दिये गये हैं, परीक्षा करने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा। (धारा 5ङ) संवीक्षा के लिये नियत तारीख को उस नामांकन पत्र की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, जो इस आधार पर पहले ही नामंजूर किया जा चुका है कि वह नियत अंतिम तारीख को अपराह्न तीन बजे से पहले प्राप्त नहीं हुआ था या

[*] राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1997 के द्वारा प्रस्थापकों और समर्थकों की संख्या को पांच से बढ़ाकर बीस कर दिया गया।

उसके साथ निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई थी [धारा 5 ङ (2)]

निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा करते समय ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं:—

(एक) नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति उपस्थित रहने का हकदार है, किंतु अन्य कोई व्यक्ति नहीं।

[धारा 5 ङ (1)]

(दो) अभ्यर्थी और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सब अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की परीक्षा करने के लिये सब उचित सुविधाओं के हकदार हैं।

[धारा 5ङ (1)]

(तीन) नामांकन की संवीक्षा के लिये नियत तारीख को उन नामांकन पत्रों की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन पहले ही नामंजूर कर दिये गये हैं।

[धारा 5ङ (2)]

(चार) नामांकन पत्र विहित प्ररूप में भरा गया है और उस पर अभ्यर्थी के नामांकन की अनुमति देते हुए हस्ताक्षर हैं।

[धारा 5ख (1)]

(पांच) कम से कम पचास निर्वाचक प्रस्थापक के रूप में और कम से कम पचास निर्वाचक समर्थक के रूप में हैं।

[धारा 5 ख (1) (क)]

(छह) नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है [धारा 5ख (2)] । निर्वाचक नामावली में दी गई सूचना के अनुसार अभ्यर्थी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(सात) एक ही निर्वाचन में कोई निर्वाचक एक से अधिक नामांकन पत्र पर किसी प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा। यदि उसने ऐसे हस्ताक्षर किये हैं, तो पहले परिदत्त नामांकन पत्र के अलावा अन्य पत्र पर उसके हस्ताक्षर अप्रवर्तनीय होंगे।

[धारा 5 ख (5)]

(आठ) अभ्यर्थी ने जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये की राशि जमा कर दी है। (यदि किसी अभ्यर्थी के लिये एक से अधिक नामांकन पत्र हैं, तो यह राशि एक बार ही जमा करानी होगी)

[धारा 5ग (1)]

निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसी सब आपत्तियों का विनिश्चय करेगा, जो किसी नामांकन पत्र पर की जायें तथा, या तो किसी ऐसे आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी किसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नामांकन को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामंजूर कर सकेगाः—

(क) कि नामांकन की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को अभ्यर्थी संविधान के अधीन, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का पात्र नहीं है। (किसी अभ्यर्थी की आयु का निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति में आयु सम्बन्धी प्रविष्टि से सत्यापन किया जा सकता है।); अथवा

(ख) कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से कोई धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्ह नहीं है (प्रस्थापक या समर्थक निर्वाचक है या नहीं, इसका सत्यापन निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई निर्वाचकों की सूची से किया जाएगा।); अथवा

(ग) कि नामांकन पत्र पर अपेक्षित संख्या में उनके प्रस्थापकों या समर्थकों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं; अथवा

(घ) कि अभ्यर्थी के या प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के हस्ताक्षर असली नहीं हैं या कपट द्वारा लिए गए हैं; अथवा

(ङ) कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबंधों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है (डाक से प्राप्त नामांकन इस आधार पर नामंजूर किया जाएगा।) [धारा 5 (ङ)(3)]

निर्वाचन अधिकारी किसी नामांकन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा, जो महत्वपूर्ण नहीं है।

[धारा 5 (ङ) (5)]

निर्वाचन अधिकारी धारा (4) की उपधारा (एक) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निर्धारित तारीख पर जांच करेगा और केवल ऐसी कार्यवाहियों में व्यवधान डाले जाने या दंगों या खुली हिंसा के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से कार्यवाही को स्थगित नहीं करेगा।

[धारा 5 (ङ) (6)]

निर्वाचन अधिकारी किसी प्रकार की आपत्ति किए जाने पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को जांच के लिए निर्धारित तारीख के बाद वाले दिन खण्डन करने की अनुमति देगा और निर्वाचन अधिकारी जिस दिन के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है उस दिन अपना निर्णय रिकार्ड करेगा।

[धारा 5 (ङ) (6)]

निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामांकन पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण रिकॉर्ड करेगा।

[धारा 5 (ङ) (7)]

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए भी उपरोक्त प्रावधान इस परिवर्तन के साथ लागू होंगे कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के नामांकन पत्र की जांच करते समय निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक वैध नामांकन पत्र के लिए कम से कम बीस प्रस्थापक हों और कम से कम बीस समर्थक हों।

[धारा 5ख (1) (ख)]

अभ्यर्थिता वापस लेना

(क) राष्ट्रपति

कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता विहित प्रारूप (परिशिष्ट-चार) में और अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जो निर्वाचन अधिकारी को ऐसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से ऐसे किसी भी प्रस्थापक या समर्थक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय से पहले सौंप दी गई हो। [धारा 6(1)] जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दी है, उसे उस सूचना को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

[धारा 6(2)]

निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असली होने और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्ट हो जाने पर सूचना को अपने कार्यालय के किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगवाएगा।

[धारा 6(3) और नियम (5)]

जिस कालावधि के अन्दर अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है, उसके बीत जाने के पश्चात् यदि:–

(एक) केवल एक अभ्यर्थी है, जो विधिमान्य रूप में नामांकित किया गया है और जिसने विनिर्दिष्ट रीति से और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, तो निर्वाचन अधिकारी अविलंब यह घोषणा कर देगा कि ऐसा अभ्यर्थी राष्ट्रपति के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो सम्यक् रूप से नामांकित किये गये हैं, किन्तु जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, की संख्या एक से अधिक है, तो रिटर्निंग ऑफिसर एक सूची (परिशिष्ट-पांच) तैयार करेगा, जिसमें नामांकन पत्रों में दिए गए रूप में वर्णक्रम से अभ्यर्थियों के नाम और उनके पते, अन्तर्विष्ट होंगे, तथा उसे भारत के राजपत्र में तथा सभी राज्य सरकारों के राजपत्रों में ऐसी भाषाओं में, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे, प्रकाशित कराएगा । इस सूची की एक प्रति उनके कार्यालय में किसी सुस्पष्ट स्थान पर लगाई जाएगी।

(तीन) विधिवत् रूप से नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थी के नहीं रहने पर और उसके द्वारा अपना नामांकन वापस न लिए जाने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी इस तथ्य से निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगा (धारा 8 और नियम 6) और इसके पश्चात् निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यवाहियां फिर से शुरू की जाएंगी और इस उद्देश्य हेतु इस निर्वाचन के संबंध् में धारा 4 (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को निर्वाचन आयोग रद्द करेगा और नए सिरे से निर्वाचन के उद्देश्य हेतु उपधारा में उल्लिखित तारीखों को तय करते हुए उपधारा के अन्तर्गत अन्य अधिसूचना जारी करेगा ।

[धारा 8]

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं ।

मतदान से पूर्व अभ्यर्थी का निधन

(क) राष्ट्रपति

यदि किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम-निर्देशन संवीक्षा करने पर ठीक पाया जाता है, की मतदान से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो रिपोर्टिंग अधिकारी उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा। वह निर्वाचन आयोग को इस तथ्य की जानकारी देगा। निर्वाचन संबंधी सभी कार्यवाहियां सभी मामलों में नए सिरे से शुरू की जाएंगी।

[धारा 7]

परंतु उस अभ्यर्थी की दशा में, जिसका नाम-निर्देशन मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय विधिमान्य था, कोई अतिरिक्त नाम-निर्देशन आवश्यक न होगा।

[धारा 7 (पहला परन्तुक)]

परंतु यह और भी कि जिस व्यक्ति ने मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दे दी है वह ऐसे प्रत्यादेश के पश्चात निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने का अपात्र न होगा।

[धारा 7 (दूसरा परन्तुक)]

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

सुरक्षा प्रबन्ध

(क) राष्ट्रपति

निम्नलिखित उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं:—

(एक) उस कमरे पर पहरा रखना, जिसमें नामांकन पत्र और निर्वाचन संबंधी अन्य गोपनीय कागज रखे जाते हैं;

(दो) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मतपेटियां और मतपत्र रखे जाते हैं ;

(तीन) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मतदान होता है;

(चार) उस स्थान पर पहरा रखना, जहां मतों की गिनती होती है;

(पांच) मतपत्रों वाली मतपेटियों को हवाई अड्डे से संसद भवन लाना; और

(छः) मतपेटियां तथा अन्य कागज निर्वाचन आयोग को वापस करना।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु भी उपर्युक्त खण्ड (पांच) को छोड़कर ऐसी ही व्यवस्था की जाती है।

मतदान

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग, जहां मतदान होना है, नई दिल्ली स्थित संसद भवन में और प्रत्येक राज्य के उस परिसर में, जिसमें उस राज्य की विधान सभा अपने कार्य संचालन के लिये एकत्र होती है, मतदान का स्थान नियत करेगा। आयोग मतदान के हर एक ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से उन निर्वाचकों के समूह को, जो मत देने के हकदार होंगे और उस समय को, जिसके दौरान मतदान होगा, विनिर्दिष्ट भी करेगा और इस बारे में सम्यक् रूप से प्रचार करेगा। (नियम 7) निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचनाएं जारी की जायेंगी और उन्हें भारत के राजपत्र और सभी राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा ।

(ख) उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन आयोग संसद भवन, नई दिल्ली में मतदान का स्थान व घंटे निर्धारित करेगा, जिनके दौरान मतदान और निर्धारित किए गए स्थान और घण्टों का पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करेगा। (नियम 8)

संसद सदस्यों और विधायकों के लिए मतदान का स्थान

(क) राष्ट्रपति

संसद सदस्यों के लिये मतदान का स्थान संसद भवन होगा। तथापि, जो संसद सदस्य मतदान के दिन नई दिल्ली में उपस्थित न होने के कारण संसद भवन में मतदान न कर सकते हों, निर्वाचन आयोग उनकी इच्छा के अनुसार राज्यों की राजधानियों में मतदान के किसी भी स्थान पर उनके मतदान की व्यवस्था करेगा ।

कोई संसद सदस्य, जो किसी राज्य की राजधानी में मतदान के स्थान पर मतदान करने का इच्छुक हो, को उचित समय के भीतर, अर्थात् मतदान की तिथि से लगभग दस दिन पहले उस स्थान का, जहां वह मतदान करना चाहता है, नाम बताते हुये निर्वाचन आयोग को सूचना देनी चाहिये। निर्वाचन आयोग को यह सूचना, पत्र अथवा तार द्वारा दी जा सकती है। इस सूचना के प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा तत्काल नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी को और उस राज्य की राजधानी में, जहां सदस्य मतदान करना चाहता है, निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना दी जायेगी, ताकि सदस्य द्वारा बताई गई राज्य की राजधानी में उसके मतदान की व्यवस्था की जा सके। मतदान के दिन ऐसे संसद सदस्य को, राज्य की राजधानी में सहायक निर्वाचन अधिकारी (जो राज्य की राजधानी में मतदान का संचालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी होगा) के समक्ष या तो अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये अथवा स्वयं की इस प्रकार पहचान करानी चाहिये, जिससे सहायक निर्वाचन अधिकारी संतुष्ट हो जाये, ताकि वह मतदान कर सके। ऐसे निर्वाचक के लिये अपेक्षित मतपत्र निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम रूप से दिया जायेगा।

राज्य विधान सभा के सदस्य संबंधित राज्य में केवल उस स्थान पर ही मतदान कर सकते हैं जहां मतदान की व्यवस्था की गई हो, अन्यत्र नहीं । तथापि, विधान सभा का कोई सदस्य, यदि अपरिहार्य कारणवश अन्य स्थान पर मतदान करना चाहे, तो वह निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति लेकर नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मतदान कर सकता है। यदि राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य को अपरिहार्य कारणवश निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे या तो निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिये, अथवा स्वयं की इस प्रकार पहचान करानी चाहिये जिससे निर्वाचन अधिकारी सन्तुष्ट हो जाये, ताकि वह मतदान कर सके। निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे निर्वाचक के लिये अपेक्षित मतपत्र निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। निर्वाचकों, अर्थात् संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य जिसे संसद भवन में मतदान करना है, को उसकी निर्वाचक संख्या की जानकारी देने के लिए मतदान से एक दिन पहले एक पत्र जारी किया जाता है ।

(ख) उपराष्ट्रपति

चूंकि, विधान सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं होते, अतः मतदान हेतु संसद भवन के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान निर्धारित नहीं किया जाता।

मतदान अधिकारियों की नियुक्ति

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन अधिकारी या ऐसा सहायक निर्वाचन अधिकारी, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मतदान के हर एक स्थान पर मतदान का संचालन करेगा। ऐसे प्रत्येक अधिकारी को मतदान के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदान अधिकारियों को, जिन्हें वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस निर्वाचन में उस निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जा चुका है या उसके लिये काम करता रहा है, नियुक्त नहीं करेगा । (नियम 9)

सूचारु रूप से मतदान कराने के लिये संसद भवन में मतदान के स्थान पर निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये नियुक्त मतदान अधिकारी को आवश्यक अनुदेश जारी किये जायेंगे। (परिशिष्ट छह)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं ।

मतपत्र और मतपेटियों की आपूर्ति

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा संसद भवन में निर्वाचन अधिकारी को और राज्यों की राजधानियों में प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी को मत-पत्र और मतपेटियां उपलब्ध कराई जायेंगी। संसद सदस्यों के लिए मुद्रित किये गये मतपत्रों का रंग विधायकों के लिये मुद्रित किये गये मतपत्रों के रंग से भिन्न होता है। निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों की सूची की एक अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएगा जो संसद भवन में निर्वाचन के स्थान पर मतदान करेंगे । आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी के उपयोग के लिये निर्वाचकों की सम्पूर्ण सूची की कुछ अतिरिक्त प्रतियां (5 अथवा 6) भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

(ख) उपराष्ट्रपति

निर्वाचन आयोग द्वारा संसद भवन में निर्वाचन अधिकारी को मतपत्र और मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों की सूची की एक अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएगा जो संसद भवन में मतदान के स्थान पर मतदान करेंगे । आयोग द्वारा निर्वाचन अधिकारी के उपयोग हेतु निर्वाचकों की सम्पूर्ण सूची की कुछ अतिरिक्त प्रतियां (5 अथवा 6) भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

मतपेटियों का निरीक्षण और उन पर मुहर लगाना

(क) राष्ट्रपति

मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान के लिये उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा। तब वह पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द करके मुहरबन्द करेगा कि मतपत्रों को उसमें डालने के लिये छेद खुला रहे। इस प्रयोजनार्थ मतपेटी के ढक्कन के कुंडे पर कपड़े की टेप लगाने के बाद पेटी पर, कुंडे के बिल्कुल पास पीठासीन अधिकारी की मुहर लगा दी जाती है। पीठासीन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो वहाँ उपस्थित हों और यदि वे चाहते हों , तो उन्हें अपनी मुहर भी उस पर लगाने देगा। (नियम 12)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान केन्द्र में प्रवेश

(क) राष्ट्रपति

केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही मतदान स्थल पर उपस्थित होने के हकदार होंगेः—

(एक) मतदान हेतु नियुक्त किए गए मतदान अधिकारी और अन्य लोक सेवक;

(दो) अभ्यर्थी और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि;

[वर्ष 1962 में हुए तृतीय राष्ट्रपतीय निर्वाचन में एक अभ्यर्थी (डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन) ने मतदान के समय मतदान कक्ष में प्रतिनिधियों के उपस्थित रहने हेतु निर्वाचन अधिकारी को चार प्राधिकार पत्र भेजे । तब यह प्रश्न उठा कि क्या एक अभ्यर्थी मतदान में उपस्थित रहने के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि अभ्यर्थी मतदान के समय उपस्थित रहने के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर सकता है, किन्तु एक समय पर केवल एक ही प्रतिनिधि को मतदान के स्थल पर प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी];

(तीन) निर्वाचक;

(चार) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति; और

(पांच) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें मतदान में सहायता हेतु पीठासीन अधिकारी समय-समय पर प्रवेश करने दें। (नियम 13)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्र देने की प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

मतदान के स्थान पर मत देने के हकदार निर्वाचकों की निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई अधिप्रमाणित सूची और संगत भाग मतदान अधिकारियों को दे दिये जायेंगे। निर्वाचक को मतपत्र सौपने से ठीक पहले नीचे दिये गये क्रम में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगाः–

(एक) निर्वाचकों की अधिप्रमाणित सूची में निर्वाचक के नाम के सामने एक सही का निशान (टिक मार्क) लगाया जायेगा;

(दो) उस सूची में दर्शाई गयी निर्वाचक संख्या को मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज किया जायेगा। गोपनीयता बनाये रखने के लिये, मतपत्र पूर्णतः क्रमानुसार नहीं, बल्कि बेतरतीब रूप से जारी किये जायेंगे; और

(तीन) निर्वाचक को मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में सूची में अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

उपर्युक्त तीनों कार्य किये जाने के बाद ही, निर्वाचक को मतपत्र सौंपा जायेगा। (नियम 14)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

नए मतपत्र कब दिये जा सकते हैं

(क) राष्ट्रपति

यदि किसी निर्वाचक ने अनजाने में अपने मतपत्र को ऐसा बना दिया है कि उसे मतपत्र के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो निर्वाचक, पीठासीन अधिकारी को अनजाने में किए गए इस कार्य के बारे में संतुष्ट करके उस मतपत्र को पीठासीन अधिकारी को लौटाकर उसके स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकता है और पीठासीन अधिकारी लौटाए गए मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण पर "रद्द" शब्द अंकित करेगा। ऐसे रद्द किये गए मतपत्र इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक लिफाफे में रखा जाएगा। (नियम 15)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

हर निर्वाचक को उतने अधिमान उपलब्ध होंगे जितने अभ्यर्थी हैं, किन्तु कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा, कि ऐसे सब अधिमान चिह्नित नहीं किये गये हैं।

निर्वाचक अपना मतदान करते समय:—

(एक) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी जिसे वह प्रथम अधिमान देना चाहता है, के नाम के सामने वाले स्थान पर अंक 1 अंकित करेगा ; और

(दो) इसके अतिरिक्त, अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों पर अधिमान-क्रम में बाद के अधिमान, जितने वह चाहता है, 2,3,4 आदि अंकित कर सकता है।

उपर्युक्त (एक) और (दो) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किये जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में अंकित नहीं किये जायेंगे। (नियम 17)

प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मतपत्र दिया गया है, मतदान स्थल पर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिये तुरंत :–

(एक) किसी एक मतदान कोष्ठ में जायेगा;

(दो) उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार, अपना मतदान करेगा;

(तीन) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाये;

(चार) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा; और

(पांच) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

प्रत्येक निर्वाचक बिना कोई विलम्ब किए मत देगा और जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। (नियम 18)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं। परिणाम के निर्धारण हेतु अनुदेशों से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में यह उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक गणना पर प्रत्येक मतपत्र एक मत माना जाता है। (*परिशिष्ट सात*)

निरक्षर या निःशक्त निर्वाचक द्वारा मतदान

(क) राष्ट्रपति

यदि कोई निर्वाचकः—

(एक) निरक्षरता या अन्धेपन; अथवा

(दो) उस भाषा से, जिसमें मतपत्र मुद्रित हैं अनभिज्ञ होने के कारण; अथवा

(तीन) किसी शारीरिक या अन्य निःशक्तता के कारण,

विहित रीति के अनुसार मतपत्र पढ़ने या उस पर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ हो, तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार मतपत्र पर मत रिकॉर्ड करेगा। वह प्रत्येक ऐसी

घटना का संक्षिप्त रिकॉर्ड भी रखेगा, किन्तु उसमें उस रीति का उल्लेख नहीं करेगा, जिससे कोई मत डाला गया है। (नियम 19)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

निरुद्ध किए गए निर्वाचक द्वारा मतदान

(क) राष्ट्रपति

यदि किसी निर्वाचक को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो, तो वह अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा। ऐसे मामले में निर्वाचन आयोग उस जेल के प्रभारी अधिकारी को पहचान की घोषणा और हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन का प्ररूप तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवश्यक लिफाफे और एक अनुदेश पत्र के साथ समुचित मतपत्र, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजता है। मतदान की तारीख को जेल प्राधिकारी मतपत्र और अन्य आवश्यक पत्र निर्वाचक को सौपते हैं, उसे अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए अधिकतम दो घंटे का समय देते हैं और तदन्तर मतपत्र और अन्य पत्रों को मुहरबंद लिफाफे में या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहकों द्वारा भेजते हैं। निर्वाचन अधिकारी को ये डाक मतपत्र प्राप्त होने पर इन्हें मतपेटियों के साथ रखा जाता है और एक अलग रजिस्टर में उनका लेखा-जोखा रखा जाता है। (नियम 26)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्रों का विवरण

(क) राष्ट्रपति

मतदान के समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी विहित प्रारूप (परिशिष्ट आठ) में मतपत्र विवरण तैयार करेगा और उसे एक पृथक लिफाफे जिस पर "मतपत्र विवरण" शब्द लिखे होंगे में बंद करेगा । वह किसी अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो ऐसा चाहता हो, को मतपत्र विवरण में की गई प्रविष्टियों की सत्य प्रति लेने की अनुमति देगा और यह अनुप्रमाणित करेगा कि वह सत्य प्रति है। (नियम 20)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान प्रक्रिया समाप्त होना और मतपेटियों तथा मतदान संबंधी पत्रों को मुहरबंद किया जाना

(क) राष्ट्रपति

पीठासीन अधिकारी मतदान और मतदान स्थल को, मतदान प्रक्रिया समाप्त करने के लिये नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने देगा, तथापि, उस स्थान को बन्द किये जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत रिकॉर्ड करने के हकदार होंगे। [नियम 13(2)]

मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित हों, की उपस्थिति में मतपेटी के मूंह को बंद करके सील करेगा। [मतपेटी कपड़े के थैले में रखी जाती है और थैले का मुंह धागे से सिल दिया जाता है और उस पर मुहर/मुहरें लगा दी जाती हैं।]

वह —

(एक) मतदान अधिकारी द्वारा चिह्नित और निर्वाचकों को मतपत्र दिये जाने के साक्ष्य स्वरूप उनके हस्ताक्षर वाली निर्वाचकों की सूची की प्रति को;

(दो) मतपत्रों के प्रतिपर्णों को;

(तीन) रद्द किये गये मतपत्रों को; और

(चार) उपयोग में न लाये गये मतपत्रों के अलग-अलग पैकेट बनाएगा और हर एक ऐसे पैकेट पर अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उस पर अपनी मुहरें लगाना चाहते हैं, की मुहर लगाएगा। (नियम 21)

राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के मतों वाली मतपेटियां संबंधित राज्य के सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पुलिस की समुचित सुरक्षा में संसद भवन में लायी जायेंगी। ऐसी किसी मतपेटी को अपने अधिकार में लेने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसे समुचित रूप से मुहरबंद किया गया है और उस पर मुहर कायम है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

(क) राष्ट्रपति

मतों की गणना नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ऐसी तारीख को और ऐसे समय पर की जायेगी, जो निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे। निर्वाचन आयोग ऐसी नियत तारीख और समय की सूचना सब अभ्यर्थियों को देगा। (नियम 27)

(ख) उपराष्ट्रपति

निर्वाचन अधिकारी, गणना के लिए नियत समय पर मतों की गणना आरम्भ करता है जो सामान्यतः उसी दिन होती है, जिस दिन मतदान होता है।

गणना के लिए नियत स्थान पर प्रवेश

(क) राष्ट्रपति

निर्वाचन अधिकारी:—

(एक) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें;

(दो) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक समय पर एक प्रतिनिधि;

(तीन) निर्वाचन के संबंध में तैनात किए गए लोक सेवकों; और

(चार) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय, अन्य किसी भी व्यक्ति को मतों की गणना के लिये नियत स्थान पर रुकने की अनुमति नहीं देगा। (नियम 28)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

(क) राष्ट्रपति

मतों को रिकॉर्ड करने या उनकी गणना करने के संबंध में कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियम 29 में यह भी प्रावधान है कि धारा 22 जिसके तहत उपरोक्त उपबंध किया गया है को निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना से पूर्व, सभी मतगणना अधिकारियों के समक्ष पूरा पढ़कर सुनाया जायेगा। इस धारा का पाठ इस प्रकार हैः—

"22(1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को रिकॉर्ड करने या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के अतिरिक्त) किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सूचना नहीं देगा जिससे उस सूचना की गोपनीयता का उल्लंघन होता हो ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे

(क) राष्ट्रपति

वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर:—

(एक) अंक 1 अंकित नहीं किया गया है; या

(दो) एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंक 1 अंकित किया गया हो या ऐसे अंकित किया गया हो कि उससे यह स्पष्ट न होता हो कि यह मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है ; या

(तीन) अंक 1 और अन्य कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित हो ; या

(चार) कोई ऐसा चिह्न लगाया हुआ है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है।

मतपत्र उस दशा में भी अविधिमान्य होगा जिसमें डाक मतपत्र होते हुए उस निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं हैं। (नियम 31)

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

प्रत्येक मतपेटी के खोले जाने संबंधी प्रक्रिया

(क) राष्ट्रपति

हर एक मतपेटी और हर एक मुहरबंद लिफाफे, यदि कोई हो, के खोले जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी —

(एक) उनमें से निकाले गये मतपत्रों की गणना करेगा और मतपत्र विवरण प्ररूप (*परिशिष्ट आठ*) के भाग 2 को पूरा करेगा ;

(दो) मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उनको, जो उसकी राय में वैध हैं, उनसे पृथक करेगा जो उसकी राय में अविधिमान्य हैं, और अविधिमान्य मतपत्रों पर "नामंजूर" शब्द और नामंजूरी का आधार पृष्ठांकित करेगा; और

(तीन) सब विधिमान्य मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा।

यदि किसी मतदान स्थल पर प्रयुक्त मतपेटी में ऐसे निर्वाचकों के मतपत्र हैं जिन्हें उनके अपने निवेदन पर उक्त मतदान स्थल पर मत डालने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई है, तो ऐसे मतपत्र गणना और विहित प्रपत्र (*परिशिष्ट आठ*) में अभिलेखन के पश्चात् पृथक कर लिए जायेंगे और एक ही प्रवर्ग के निर्वाचकों द्वारा प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य मतपत्रों के साथ मिला लिये जायेंगे और तत्पश्चात् उनकी संवीक्षा की जायेगी। (नियम 32)

वर्ष 1969 के राष्ट्रपतीय निर्वाचन में निर्वाचन आयोग ने अनुदेश जारी किए थे कि जिन संसद सदस्यों और विधायकों ने आयोग को सूचित करने या उसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उनके द्वारा

मतदान के लिए निर्धारित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर मतदान किया है, तो उनके मतपत्रों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगीः—

(एक) जिन संसद सदस्यों ने निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् राज्यों की राजधानियों में मतदान किया है, उनके मतपत्रों की गणना उन संसद सदस्यों के मतपत्रों के साथ की जाएगी, जिन्होंने संसद भवन में मतदान किया है।

(दो) इसी प्रकार, विधान सभा के जिस सदस्य ने निर्वाचन आयोग की अनुमति से संसद भवन में मतदान किया है, उसके मतपत्र की गणना विधान सभा के उन सदस्यों के मतपत्रों के साथ की जानी चाहिए जिन्होंने संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान किया है।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

निर्वाचन अधिकारी पहले मतपत्रों की संवीक्षा करता है और अविधिमान्य पत्रों को अलग कर देता है। विधिमान्य पत्रों में अंकित प्रथम अधिमानता के अनुसार अभ्यर्थी के लिए नियत ट्रे में रखकर विधिमान्य मतपत्रों को अभ्यर्थी-वार अलग-अलग कर दिया जाता है । सभी विधिमान्य मतपत्रों को इस प्रकार अलग-अलग करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधिमान्य मतपत्रों का जोड़ करता है।

परिणाम का निर्धारण

(क) राष्ट्रपति

सभी मतपेटियों और मुहरबन्द लिफाफों के खोले जाने और मतपत्रों की संवीक्षा और उनके क्रमबद्ध किए जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार मतदान के परिणाम का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगाः.

(एक) हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या अंकित कर दीजिए।

(दो) सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसी अंकित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

(तीन) यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अंत में किसी अभ्यर्थी के नाम अंकित मतों की कुल संख्या कोटे के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

(चार) यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो:–

(क) उस क्रम तक, मतों की सबसे कम संख्या जिस अभ्यर्थी के नाम अंकित है उसे अपवर्जित कीजिए;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में से सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप-पार्सलों के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए, हर एक उप-पार्सल के अधिमान मतों की संख्या गिनिये और उस अभ्यर्थी के नाम अंकित कीजिए जिसके लिए ऐसा अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक उप-पार्सल बनाइए; और

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अंतरण और उसके नाम में किए गए अंकन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

(पाँच) जब कोई अभ्यर्थी ऊपर (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम अंकित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सबसे कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लॉट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

(छह) ऊपर (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जाएगा। (नियमों की अनुसूची)

उदाहरण

मान लो वैध मतों की संख्या 10,000 है और *क*, *ख, ग* और *घ* ये चार अभ्यर्थी हैं। हम यह मान लेते हैं कि उन्हें निम्न प्रकार से मत प्राप्त हुए हैं:—

क. 3,500

ख. 3,200

ग. 1,800

घ. 1,500

इस मामले में कोटा 10,000/2+1=5,001 होगा। इसलिए कोई भी वह अभ्यर्थी जो 5,001 मत प्राप्त करने में असफल रहा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचित नहीं हो सकता। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रथम अधिमान के अनुसार 5,001 या अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तो वह तुरन्त निर्वाचित माना जाता है और बाद के अधिमानों की गणना करना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि इस मामले की भांति किसी भी उम्मीदवार को यह कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, तो बाद के अधिमानों की गणना करनी होगी। इसलिए, दूसरी गणना में (घ), जिसे प्रथम अधिमान में सबसे कम मत प्राप्त हुए हैं, हट जाएगा और उसके निर्वाचकों के द्वितीय अधिमान के मत उन अभ्यर्थियों में बांट दिये जायेंगे, जिनके नाम के आगे अंक 2, यदि कोई है, अंकित किया गया हो। जिन मतपत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित नहीं होगा, उन्हें "निश्शेषित" माना जाएगा।

यह प्रक्रिया तब तक दोहरायी जाएगी जब तक वांछित कोटा प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी नहीं मिल जाता अथवा अन्त में केवल एक ही अभ्यर्थी नहीं रह जाता।

(ख) उपराष्ट्रपति

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों की गणना करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों का जोड़ करता है। किसी अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने के लिए कोटे को, कुल विधिमान्य मतों को 2 से भाग करके और भागफल में 1 जोड़कर तथा शेष यदि कोई हो तो उसे छोड़कर अवधारित किया जाता है।

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मतों का योग 789 है तो निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा।

$$\frac{789}{2} + 1 = 394.50 + 1 \text{ [.50 को छोड़ दिया जाए]}$$

$$\text{कोटा} = 394 + 1 = 395$$

कोटा तय करने के बाद निर्वाचन अधिकारी को यह देखना होता है कि क्या किसी अभ्यर्थी ने उसे मिले प्रथम अधिमानता के मतों के योग के आधार पर निर्वाचित घोषित होने का कोटा प्राप्त कर लिया है।

यदि प्रथम अधिमानता मतों के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी कोटा प्राप्त नहीं करता तो निर्वाचन अधिकारी मतगणना के दूसरे दौर की प्रक्रिया आरम्भ करता है जिसमें प्रथम अधिमानता के सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतों को शेष अभ्यर्थियों के मतपत्रों पर अंकित दूसरी अधिमानता के आधार पर उनमें वितरित कर दिया जाता है । अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थी अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों को एक के मूल्य पर ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार निर्वाचन अधिकारी गणना के बाद वाले दौरों में भी सबसे कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तब तक अपवर्जित करता जाता है जब तक बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से कोई एक या तो अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता या एकल बने रहने वाले अभ्यर्थी के रूप में केवल एक ही अभ्यर्थी मैदान में शेष रह जाता है, और तब वह उसे निर्वाचित घोषित कर देता है।

परिणाम की घोषणा

(क) राष्ट्रपति

जब गणना समाप्त हो जाए और मतदान के परिणाम का निर्धारण कर लिया जाए, तब निर्वाचन अधिकारी तत्क्षण—

(एक) उपस्थित व्यक्तियों को परिणाम बताएगा [निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा के लिए देखिए *(परिशिष्ट नौ)*]

(दो) केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा;

(तीन) विनिर्दिष्ट फार्म में निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा (*परिशिष्ट दस*); और

(चार) विधिमान्य मतपत्रों और नामंजूर मतपत्रों को पृथक-पृथक पैकेटों में मुहरबंद करेगा और हर एक ऐसे पैकेट पर उसकी विषय-वस्तु का विवरण अभिलिखित करेगा (नियम 35)।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित घोषणा तुरन्त निर्वाचन आयोग और विधि और न्याय मंत्रालय को संसूचित की जाएगी। उपर्युक्त (तीन) में उल्लिखित प्रमाणित परिणाम की विवरणी निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित की जाएगी।

(ख)उपराष्ट्रपति

यही उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी पत्रों को वापस करना

(क) राष्ट्रपति

परिणाम की घोषणा किये जाने के पश्चात् मतपेटियां तथा मुहरबंद पैकेट, जिनमें—

(एक) नामांकन पत्र (स्वीकृत तथा नामंजूर);

(दो) राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की प्रामाणिक सूची;

(तीन) निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण;

(चार) रद्द किए गए मतपत्र;

(पांच) अप्रयुक्त मतपत्र;

(छह) विधिमान्य मतपत्र;

(सात) नामंजूर किये गये मतपत्र; और

(आठ) विनिर्दिष्ट फार्म (*परिशिष्ट आठ*) में मतपत्र विवरण जैसे निर्वाचन संबंधी प्रपत्र होंगे, जिन्हें समुचित पुलिस अनुरक्षा में निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

जब कोई अभ्यर्थी, जिसकी जमा राशि कानून के अनुसार जब्त नहीं हुई है, जमा कराई गई राशि लौटाये जाने के लिए आवेदन करता है, तो संगत पत्रों की जांच के पश्चात् उसको आवश्यक प्राधिकार जारी किया जाएगा।

(ख) उपराष्ट्रपति

यही उपबंध उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन पर भी लागू होते हैं।

परिशिष्ट

परिशिष्ट एक

प्ररूप 1

(देखिए नियम 3)

भारत के राष्ट्रपति*/ उपराष्ट्रपति* पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

यतः भारत के राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति पद को भरने हेतु निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी , मैं, ... एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि—

(एक) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामांकन-पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को उसके कार्यालय में, या, यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो.....को उक्त कार्यालय में ....., के अनुपरांत (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन पूर्वाह्न 11 बजे और अपराह्न 3 बजे के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(दो) हर एक नामांकन-पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(तीन) हर अभ्यर्थी केवल पंद्रह हजार रुपए की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा । यह रकम नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाचन अधिकारी के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्-कथित दशा में ऐसी रसीद का जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन-पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(चार) नामांकन-पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(पाँच) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामांकन-पत्रों को छोड़कर, नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा .....(स्थान) में .....(तारीख) को .....बजे (समय) की जाएगी;

(छह) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो,

---

* यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (एक) में विनिर्दिष्ट स्थान में ..... (तारीख) को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त की जा सकेगी;

(सात) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान, इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान स्थल पर ..... (तारीख) को ..... बजे और ..... बजे ..... के बीच होगा।

स्थानः.....

(हस्ताक्षर).....

तारीख.....

निर्वाचन अधिकारी

(पदनाम).....

परिशिष्ट दो

प्ररूप 2

(देखिए नियम 4)

नाम-निर्देशन पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में..... (*अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता*) को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है और हम घोषित करते हैं कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह .....राज्य में..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

प्रस्थापकों के विवरण और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	पूरा नाम	लोक सभा/ राज्य सभा/ विधान सभा का निर्वाचित सदस्य है	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य होने की दशा में) जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

1	2	3	4	5	6
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					

1	2	3	4	5	6
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
*आदि					

*कम से कम पचास निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों के विवरण और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	पूरा नाम	लोक सभा/ राज्य सभा/ विधान सभा का निर्वाचित सदस्य है	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (किसी संघ राज्यक्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

1	2	3	4	5	6
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					

1	2	3	4	5	6
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					

*आदि

---

*कम से कम पचास निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए |

मैं इस नाम-निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं।

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख.....

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम-निर्देशन पत्र की क्रम सं०..... यह नाम-निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख).....को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)/समर्थक.....(नाम) द्वारा नीचे यथा-उपदर्शित संलग्नकों, जिनका—

1.

2.

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय (यदि कोई हो)]

मैंने इस नामांकन-पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया हैः—

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

नाम-निर्देशन पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:—

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

.....

नाम-निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नाम-निर्देशन पत्र की क्रम सं० .....

.....(नाम) का, जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नाम-निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय

में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम)/समर्थक.....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नाम-निर्देशन पत्रों से भिन्न सभी नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को.....(बजे).....(स्थान) पर की जाएगी।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया हैः—]

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

[ ] यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट तीन

प्ररूप 3

(देखिए नियम 4)

नाम-निर्देशन पत्र

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम, संसद-सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के अधोहस्ताक्षरी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में .....

..... (अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता) को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है और हम घोषित करते हैं कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और वह ..... राज्य में ..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। हम अधोलिखित रूप में अपना पूरा विवरण भी प्रस्तुत करते हैं और हम यह नामांकन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं:—

प्रस्थापकों के विवरण और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

1	2	3	4	5	6
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
*आदि					

*कम से कम बीस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों के विवरण और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य /संघ से राज्यक्षेत्र जहां निर्वाचित हुआ है	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

1	2	3	4	5	6
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

*आदि

---

*कम से कम बीस निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिएं ।

मैं इस नाम-निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

(निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम-निर्देशन पत्र की क्रम सं. .....

यह नाम-निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित संलग्नकों, जिनका—

1.

2.

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी

[धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय (यदि कोई हो)]

मैंने इस नाम-निर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया हैः—

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी

नाम-निर्देशन पत्र को स्वीकार या नामंजूर करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने इस नाम-निर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं:—

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी

नाम-निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नाम-निर्देशन पत्र की क्रम सं. .....

..... (नाम)

का, जो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नाम-निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम)/समर्थक .....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नाम-निर्देशन पत्रों से भिन्न सभी नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा.....(तारीख) को .....(बजे) .....(स्थान) पर की जाएगी।

[2. मैंने इस अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया हैः—]

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

[ ] यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

परिशिष्ट चार

प्ररूप 4

[देखिए नियम 5(1)]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

सेवा में,

निर्वाचन अधिकारी,

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

मैं .....(नाम).....(पता)

उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, एतद्द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं।

स्थान.....

तारीख..... .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण:— अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6(1) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट पांच

प्ररूप 5

(देखिए नियम 6)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन के अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान.....

तारीख..... .....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट छह

मतदान अधिकारियों के लिए अनुदेश

राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान संसद भवन, नई दिल्ली के कमरा संख्या..... में.....को पूर्वाह्न.....बजे से अपराह्न.....बजे..... तक होगा।

2. संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य संसद भवन में इस निर्वाचन में मतदान करने के अधिकारी हैं।

3. निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए जारी की गई निर्वाचकों की सूची में प्रत्येक निर्वाचक के लिए एक क्रम संख्या दी गई है।

4. मतदान अधिकारियों के लिए कमरा संख्या ..... में 6 टेबल लगाई जायेंगी। प्रत्येक टेबल के प्रभारी दो मतदान अधिकारी होंगे। वे निर्वाचकों को निम्न रूप में मत पत्र देंगेः—

टेबल	निर्वाचकों की क्रम संख्या
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

मतदान अधिकारियों के बैठने के स्थान के पीछे उक्त व्यवस्था दर्शाने वाले प्लेकार्ड लगाए जायेंगे।

5. सभी मतदान अधिकारी .....को पूर्वाह्न.....बजे कमरा संख्या.....में उपस्थित हों।

6. पूर्वाह्न..... बजे मतपत्र और निर्वाचकों की अधिप्रमाणीकृत सूची का संबंधित भाग मतदान अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

7. जब कोई निर्वाचक टेबल पर आये, तो मतदान अधिकारी.....

(एक) निर्वाचकों की सूची में उसका नाम, राज्य और क्रम संख्या पूछेगा और निर्वाचकों की सूची से उसकी जांच करेगा;

(दो) उक्त सूची में निर्वाचक के नाम पर बाईं ओर स्याही से सही का निशान लगायेगा;

(तीन) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचकों की सूची में दी गई क्रम संख्या स्याही से लिखेगा;

(चार) निर्वाचकों की सूची के टिप्पणी कॉलम में निर्वाचक के नाम के सामने मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप स्याही से उसके हस्ताक्षर कराएगा और तब, न कि उससे पूर्व, उसे मतपत्र परिदत्त करेगा (निर्वाचकों को मतपत्र क्रमसंख्यानुसार नहीं दिए जायेंगे, वे बीच-बीच में से दिए जाएंगे); और

(पांच) उसको मतदान कोष्ठों में से एक में जाने के लिए, वहां मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने, उसे मोड़ने और उसको पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखी मतपेटी में डालने का निदेश देगा।

8. यदि कोई निर्वाचक मत अभिलिखित करने की प्रक्रिया जानना चाहे, तो उसे मतपत्र के पीछे लिखे अनुदेश स्पष्ट कर दिए जायेंगे।

9. यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र परिदत्त किया जा चुका है, दूसरा मतपत्र चाहे, तो मतदान अधिकारी उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक को तब तक दूसरा नया मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा करने का निदेश न दे।

10. यदि निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है, तो उसे वह अप्रयुक्त मतपत्र पीठासीन अधिकारी को लौटाना होगा और न कि मतदान अधिकारी को। मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा।

11. यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता अथवा अंधेपन अथवा शारीरिक अथवा अन्य निःशक्तता के कारण अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो उसे आवश्यक सहायता दिए जाने के लिए पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। ऐसे प्रत्येक मामले का पृथक रूप से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

12. मतदान के बंद हो जाने के पश्चात्, मतदान अधिकारी उन्हें दिए गए मतपत्रों का लेखा संलग्न प्ररूप में भर कर पीठासीन अधिकारी को देंगे।

13. मतदान अधिकारी मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा। इस संबंध में राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 22 के उपबंध निम्न प्रकार हैं:—

> "22. **मतदान की गोपनीयता बनाए रखना**— (1) ऐसा हर अधिकारी, लिपिक या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित नहीं करेगा।
>
> (2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

नई दिल्ली
दिनांकः .....

राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए
निर्वाचन अधिकारी और
पीठासीन अधिकारी।

परिशिष्ट सात

अनुसूची

(देखिए नियम 33)

परिणाम के निर्धारण के लिए अनुदेश

1. इस अनुसूची में—

(1) "बने रहने वाले अभ्यर्थी" पद से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं हुआ है;

(2) "प्रथम अधिमान" पद से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाया गया अंक 1 अभिप्रेत है, इसी प्रकार "द्वितीय अधिमान" से अंक 2, "तृतीय अधिमान" से अंक 3 और इसी प्रकार आगे अभिप्रेत है;

(3) "अगला उपलभ्य अधिमान" पद से, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए लगातार संख्याक्रम में अभिलिखित द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिप्रेत है, तत्पूर्व अपवर्जित किए जा चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानों को गिनती में नहीं लिया जाएगा;

(4) "अनिश्शेषित पत्र" पद से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित हैं;

(5) "निश्शेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु किसी पत्र को ऐसी दशा में निश्शेषित समझा जाएगा जिसमें कि—

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं ; या

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बना रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक बाद का अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से चिह्नित है।

2. हर गणना में हर मतपत्र—

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नियम 30 के अधीन यथा निर्धारित मतों की संख्या का; और

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, एक मत का, सूचक है ।

3. हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या अंकित कर दीजिए।

4. सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसी अंकित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

5. यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अन्त में किसी अभ्यर्थी के नाम अंकित मतों की कुल संख्या कोटा के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

6. यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो,—

(क) उस क्रम तक, मतों की सबसे कम संख्या जिस अभ्यर्थी के नाम अंकित है उसे अपवर्जित कीजिए;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों के सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप-पार्सलों के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए, हर एक उप-पार्सल के अधिमान मतों की संख्या गिनिए और उसे उस अभ्यर्थी के नाम अंकित कीजिए जिसके लिए ऐसा अभिलिखित है, उप-पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक उप-पार्सल बनाइए; और

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अन्तरण और उसके नाम में किए गए अंकन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

जब कोई अभ्यर्थी ऊपर के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सबसे कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लॉट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

ऊपर के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप-पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए के रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

परिशिष्ट आठ

प्ररूप 6

(देखिए नियम 20)

भाग 1 — मतपत्र विवरण

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

मतदान के स्थान का नाम . . . .

	क्रम संख्या		कुल संख्या
	से	तक	
1. प्राप्त मतपत्र			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र			
3. मतदाताओं को दिए गए मतपत्र			
4. रद्द किए गए मतपत्र			

तारीख ....

....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग 2 — गणना का परिणाम

(देखिए नियम 32)

(1) मतदान के स्थान में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या................

(2) इस भाग में मद (1) के सामने यथादर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या में से भाग 1 की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बीच कोई अन्तर, यदि हो ।

तारीख . . . .

. . . .

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट नौ

घोषणा

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि श्री/श्रीमती.....(पता.....
.....) भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं |

नई दिल्ली

दिनांक..... .....

निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट दस

प्ररूप 7

[देखिए नियम 35 (1) (ग)]

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम गणना में प्राप्त मत	प्रथम अपवर्जन में नाम में अंकित मत	स्तम्भ 3 और 4 का जोड़	द्वितीय अपवर्जन में नाम में अंकित मत	स्तम्भ 5 और 6 का जोड़	तृतीय अपवर्जन में नाम में अंकित मत	स्तम्भ 7 और 8 का जोड़	चतुर्थ अपवर्जन में नाम में अंकित मत	स्तम्भ 9 और 10 का जोड़				
	निश्शेषित मत													
	जोड़													

..... मतों के सूचक विधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

.....मतों के सूचक अविधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

मैं घोषित करता हूं कि

(नाम) .....

(पता) .....

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान .....

तारीख ....

निर्वाचन अधिकारी